

(रा.प्र. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136)

श्रीमान उपखण्ड अभिकारी महोदय  
सिवागा जिला बालोतरा  
(राजस्थान)

विषय - राजस्व रेकॉर्ड में दुरुस्ती के सम्बन्ध में ।  
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि ग्राम खरखिटा की जमाबन्दी संवत् 2077 के खाता  
संख्या 72 में मेरा/हमारे नाम जोगीरा पुत्र खूजा जाति 5000  
दर्ज हैं जो अशुद्ध हैं, जिनके स्थान पर मेरा / हमारे शुद्ध नाम जोगीराम पुत्र खूजा  
हैं।

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करावें ।  
दिनांक :-

जोगीराम  
हस्ताक्षर प्रार्थी/प्रार्थीगण

रिपोर्ट पटवारी / भू.अ. निरीक्षक

जाती के संततन इन्तार्जो चदा आधार कार्ड अनुसार जोगीरा पुत्र खूजा  
के स्थान पर जोगीराम पुत्र खूजा नाम शिष्टे एवं संततन जन  
करना उचित है।

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

रिपोर्ट पटवारी एवं भू.अभिलेख निरीक्षक अनुसार उपवर्णित दुरुस्ती किया जाना उचित हैं ।

FORM NO. 2026/209

आदेश

23/12/25  
तहसीलदार समदडी  
तहसीलदार समदडी  
13/03/2028

क्रमांक / / 214

दिनांक

रिपोर्ट तहसीलदार समदडी अनुसार ग्राम खरखिटा की जमाबन्दी संवत् 2077 के खाता  
संख्या 72 में

जोगीरा पुत्र खूजा के बजाय सम्मान सूचक इन्द्राज

जोगीराम पुत्र खूजा

करने की स्वीकृति प्रदान

की जाती हैं तदनुसार रेकॉर्ड में उचित दरामद की कार्यवाही की जावे ।



उपखण्ड अभिकारी सिवागा  
सिवागा (बालोतरा)